I/59298/2022

Issued (निर्गत) 30/08/2022
Section Officer (अनुभाग अधिकारी)

संख्या–59298/XXVIII(1)/2022

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय चन्दर नगर,
देहरादून।

चि0 स्वा0 एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनःदिनांकः 30 अगस्त, 2021

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के ऑडिटोरियम भवन में कुर्सियों की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्यो हेतु पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2314/चि0शि0/12/04/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के ऑडिटोरियम भवन में कुर्सियों की आपूर्ति एवं स्थापना किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जिला स्तरीय टी0ए0सी0 प्रकोष्ट, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल से टी0ए0सी0 कराकर उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन ₹ 69.00 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 24.5905 करोड़ को सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी की स्थापना के अन्तर्गत मानक मद संख्या–53–वृहद निर्माण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 69.00 लाख (₹ उनहत्तर लाख मात्र) की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. शासनादेश संख्या–345/XXVIII(1)/2012-11(हल्द्वानी)/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या–426/XXVIII(5)/2021-11(हल्द्वानी)/2021 दिनांक 30 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।
ii. स्वीकृत आगणन के सापेक्ष ही अवमुक्त की जा रही धनराशि व्यय की जायेगीं किसी भी स्थिति में स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि अवमुक्त की गयी धनराशि स्वीकृत लागत से अधिक अवमुक्त हो तो प्रत्येक स्थिति में दिनांक 31 मार्च, 2023 तक उक्त धनराशि समर्पित की जायेगी।
iii. फर्नीचर क्रय/फर्नीशिंग कार्यो हेतु उतनी ही धनराशि व्यय की जायेगी,

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 30/08/2022 12:55 PM

जितनी की अनुमोदित आगणन में स्वीकृत है। आगणन में स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय होने पर सम्पूर्ण दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थान का होगा।

iv. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आवंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

vi. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए।

ix. उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार एवं कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

x. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xi. उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017/ प्रोक्योरमैन्ट रूल, 2017 तथा अन्य शासनादेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुंनिश्चित

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 30/08/2022 12:55 PM

किया जाय।

2 — उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—12 के लेखाशीर्षक—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—03—चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान— 105—एलोपैथी—09—राजीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालय की स्थापना के मानक मद—53—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—391/09(150)/2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

4— उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई0डी0 संलग्न है।

भवदीय,

Signed by Arunendra Singh Chauhan
Date: 30-08-2022 11:36:41

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या—59298/XXVIII(5)/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम हल्द्वानी इकाई, हल्द्वानी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Arvind Singh Pangtey
Date: 30-08-2022 11:56:39

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by MAGAN CHAND RANA, RO-MCR, REVIEW OFFICER, Medical Health and Medical Education Department on 30/08/2022 12:55 PM